

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अनुरक्षण खण्ड, लिनकट
अनुलग्नक 1



नलकूप के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए आ

सेवा में,

पिता अजिस्ट्रेट.....

1. प्रार्थी का नाम व पता
2. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है
3. प्रार्थी का एकड़ों में यह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी (जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनकी माप संख्या स्थिति आदि का क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधन पकड़े कुर्ये आदि से की जा सकती है।
5. अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती है और अब उसके आगे काम क्यों नहीं लिया जाता है।
6. क्या यह क्षेत्र अंशतया पूर्णतया किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र (कमरोड़ एरिया) के अन्तर्गत आता है।
7. क्या नलकूप की बोरिंग खुदाई गई और पम्प तथा मोटर लगा दिये गये हैं।
8. प्रार्थी के क्षेत्र निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी
9. नलकूप के स्थल से बिजली की निकटतम खम्भे की यदि कोई दूरी हो
10. पाइप पर प्रयास घली (स्ट्रेनर) की लम्बाई बोरिंग की (खुदाई) गहराई सोते सतह पहले उपज पानी फूटने की सतह की गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रति घंटा

अनुवा. नं. 2/2018/आ. वि. 2/नी.प.ल.
क्षेत्र उत्तरा काँपुर जिला
9-11-P

नलकूप

नहीं

नहीं

नहीं

हां

3 कि.मी.

500 फीट

1.20 फीट

दिनांक.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

.....
.....

(१)

अंश० पत्रांक १८३२/३८ क

दिनांक ४-३-६८ के अन्तर्गत

यदि पॉच हास पावर से अधिक लोड की आवश्यकता हो

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के पास एकड़ भूमि है जिसके लिए नलकूप लगाना शक्यता है।

खण्ड विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी

(२)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता कि प्रार्थी ने अपना कुँआ बनवा लिया है और उसकी विद्युत की मांग उचित है।

(३)

यह प्रमाणित किया जाता कि प्रस्तावित नलकूप २४ मीटर चौड़ी नहर से २०० मीटर दूर है २५ मीटर चौड़ी नहर से १०० मीटर दूर है।

खण्ड विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी

संख्या २६० १ एक टी २३ आ.ई.ई.सी. दिनांक २२-२-६७ के अन्तर्गत

(४)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता कि प्रार्थी को वास्तविक नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता तथा इस विभाग की प्रार्थी की नलकूप के कनेक्शन देने में आपत्ति नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी

GST-NO.-92APAPG3469D1G

Shri Kamadgiri Construction

Contactör nd General Order Supplier

(D.C/D.T.H Method Hand Pump nd Tube well Boring Work)

Allahabad road ,Karwi (Chitrakoot) U.P-210205

Date: 20/5/2023

(बोरिंग प्रमाण—पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रजेश राजेश कुमार विकासखण्ड अतर
जनपद चित्रकूट का बोर 220 फिट गहराई का दिनांक 15/5/2023 मे मेरे द्वारा बनाया गया है।
इसका बोर सफल रहा है तथा सही सिंचाई हेतु उचित पानी प्राप्त हुआ है।

राजेश कुमार कानूनी
21/05/2023
प्रोवाइटर
(राजेश कुमार)
टेकेदार